प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)

(पीठासीन अधिकार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट का स्थान :– चाकसू

उनवान

रामकिशन बनाम मुण्डावर पंचायत

वादी प्रतिवादीगण।

दावा बाबत :– 188 R.T. Act.

प्रकरण संख्या 173/16 निर्णय दिनांक 19-6-17

वादी की ओर से वकील की व प्रतिवादी की ओर से वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19-6-17 को महेश चन्द मीणा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :– आ0 ए0 नं0 695 वाके ग्राम मेऊ तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) के प्रतिवादीगण कोई प्रवेश नहीं करें, ना डेलगेड कार्यों का वरण करवा करें, ना ही वादी एवं उनकी प्रतिनिधि के कब्जे काश्त वाले खेत किसी भी प्रकार की मजाहमत ही पैदा करें। सदैव सदैव के लिए पाबन्द रहें। वाद शीघ्र निर्णय एवं पत्रावली का अन्तिम क्रम रहेगा।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 19-6-17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(महेश चन्द मीणा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील	रूपया –Nil–	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 3. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. कमिश्नर की फीस 6. आदेशिका की तामील	रूपया –Nil–
योग		योग	

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner